कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर (छ0ग0)

क्रमांक/356/मान्यता/2022–23

जशपुर, दिनांक 16-9-2022

अशासकीय शिक्षण संस्थान प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत आवेदन/शपथ पत्र एवं निरीक्षण समिति अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक इनके नाम के सम्मुख अंकित कक्षाएँ संचालित करने हेतु नवीनीकरण अस्थाई विभागीय अनुमति सशर्त प्रदान की जाती है। अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के सदस्य के उद्देश्य के लिए बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम 4 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के संदर्भ में एतद् विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मान्यता दी गई है।

7. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी प्रकार से कक्षा आठवीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
8. बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 और एनेक्सर 1 और बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून एनेक्सर 2 बंधनकारी होगा।
9. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग सुविधा विहीन बच्चों को जिस कक्षा से शुरूआत होता है दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
10. परिछेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12.2 के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
11. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटिसन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या इसके माता पिता का या पालकों को स्कीनिंग टेस्ट करेगा।
12. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव के साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भ बच्चे को वंचित नहीं करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगा कि :–

26. प्रवेशित बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के पूर्णता तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाऐगा। यह विद्यालय से निकला नही जायेगा।
27. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रतारणा नही दी जावेगी।
28. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 23 के यथा अनुसार प्रदान किया जावेगा।
29. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
30. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का सामवेश करेगा।
31. शिक्षक कानून के खण्ड 23.1 निर्दिष्ट योग्यताओं के सहीत नियुक्त किये जावेंगे।
32. 5वर्ष के समयावधि के भीतर ऐसी नयूनतम योग्यताएँ प्राप्त करेंगे।
33. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम लागु करेगा।
34. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम वा शर्तें कानुन के 23.3 के उद्देश्य के लिए नियम 18 के उपनियम 1 के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशांशित होगी। विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
35. विद्यालय कानून के खण्ड 19 विशिष्टकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे अंतिम निरीक्षण के समय सुविधा निम्नानुसार हैं।
36. विद्यालय परिषद का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/ खेल मैदान का क्षेत्रफल/ अध्यापन कक्षाओं की संख्या/ पेयजल सुविधा/ मध्यान भोजन पकाने हेतु किचन/बांध रहित पहूँच/ शिक्षण अधिगम सामाग्री/ खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
37. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाऐगा।
38. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
39. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 19, 860 का 21 के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिये गठित पब्लिक दृष्टि द्वारा संचालित।

40. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं किया जावेगा।

41. लेखा प्रशिक्षण लेखा प्रशिक्षण प्रति वर्ष कराया जाना चाहिये और चार्टर एकाउन्ट से प्रमाणित कराना चाहिये और जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजना।

42. आपके विद्यालय को आबंटित कोड नम्बर आर.जी.एच/पी.एस/14 इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में अंकित करें।

43. विद्यालय समय समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियॉ और प्रतिवेदन प्रदाय करता रहेगा।

44. सोसायटी के पंजीयन का नवीनीकरण आवश्यकतानुसार करना सूनिश्चित करें।

45. विद्यालय का निरीक्षण किसी भी समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। नियमानुसार विद्यालय का संचालन नहीं करने पर विद्यालय की विभागीय मान्यता/अनुमति समाप्त की जा सकती है।

46. संस्था द्वारा प्रदत्त कोई भी पूर्व प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी जानकारी गलत पाये जाने पर अथवा उच्च कार्यालय द्वारा कसी भी उचित कारण से संस्था की मान्यता समाप्त की जाती है। तो यह अनुमति आदेश स्वमेव समाप्त माना जावेगा।

47. खेल मैदान के संबंध में आपत्ति होने पर आपके विद्यालय की मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

क्र.	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	माध्यम	कक्षा संचालन हेतु विभागीय अनुमति का विवरण
1	2	3	4	5
1	डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पण्डरीपानी	पत्थलगांव	अंग्रेजी	नर्सरी से 12वीं तक नवीनीकरण (सत्र 2022—23 से 2025—26तक)

48. यू—डाईस नम्बर प्राप्त कर सूचित 7 दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत करावे।

49. छात्र/छात्राओं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बैक खाता खोल कर इस कार्यालय को सूचति करें।

50. योग्यतानुसार एवं बी0एड0, डी0एड0 और डी0एल0ई0एड0 प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करें।

16/9/22

जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर (छ0ग0)

District Education Officer
Jashpur (C.G.)

जशपुर, दिनांक 16-09-2022

पृ0क्रमांक/ 357 /मान्यता/2022—23

प्रतिलिपि,

9. सचिव छ0ग0 शासन स्कूल विभाग रायपुर को सूचनार्थ।
10. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 रायपुर को सूचनार्थ।
11. कलेक्टर जशपुर को सूचनार्थ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर।
13. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सूचनार्थ।
14. सर्व संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर को सूचनार्थ।
15. कार्यालयीन मुख्य लिपिक/ क्रीडा/ स्का0गाईड/परीक्षा/ छात्रवृत्ति शाखा को सूचनार्थ।
16. संचालक /प्राचार्य डी0ए0व्ही0 मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल पण्डरीपानी, विकास खण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर को सूचनार्थ।

16/9/22

जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर (छ0ग0)

District Education Officer
Jashpur (C.G.)